RAFIQUE ALAM): (a) At present, there are 10 Assistant Directors working on deputation basis in the Office of the Development Commissioner (Handicrafts).

(b) The details regarding the dates of their initial appointment on deputation, the dates of expiry of their present term of deputation etc. are as under:—

Sl.No	Name	Place of posting	Date of appointment	Present term expiring on
1.	Sh. O. N. Mehra	Hqrs. Office, New Delhi.	8-12-85	7-2-89
2.	Shi V.K. Gupta	Hqrs. Office, New Delhi.	12-8-85	11-8-88
3.	Sh. A. K. Bkar	Hqrs. Office, New Delhi.	18-12-83	13-12-88
4.	Smt. Saheen Kamble	M&SEC, Srinagar	22-10-83	21-10-88
5.	Sh. T.K. Kanl	M&SEC, Barmulla	17-11-83	16-11-88
6.	Sh. B. Konwar	M&SEC, Itanagar	23-11-84	22-11-88
7.	Sh. M. Fidda Hussain	M&SEC, Leh	25-4-86	24-4-89
8.	Sh. R.K. Kumar	M&SEC, Port Blair	8-7-87	7-7-89
9.	Sh. P.K. Barthakur	M&SEC, Gauripur	1-1-88	31-12-88
10	Sh. O. Temsu, AO	M&SEC, Kohimu	4-4-88	3-4-89

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) No, Sir.

(f) Does not arise.

अफीम की खेती

3538. **श्री कैलाशपति मिश्र :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से 1988 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष किन-किन राज्य तथा किन-किन जिलों में अफीम की काश्त करने के लिये प्रति हैक्टेयर कितनी जमीन पट्टे पर दी गई है ;

(ख) क्या ऊपर उल्लिखित किसी **ब** अथवा जिले में अफीम की काश्त क्षेत्रफल में कोई कटौती की गई है ; यदि हां, तो किस वर्ष और कितने क्षेत्र की कमी की गई तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के किन-किन जिलों में अफीम की खेती के लिये नये पट्टे दिये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के लिए जारी किए गये लाइसेंस के तहत अफीम का उत्पादन करने के लिए पोस्त की काश्त करने की अनुमति है । इस समय केवल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य में ही अफीम पोस्त की काश्त की जा रही है । इन राज्यों में वर्ष 1980-81 से 1987-88 तक के लिये जिन क्षेत्रों के संबंध में पोस्त की काश्त हेतु लाइसेंस दिए गए हैं, उन क्षेत्रों का वर्षवार ब्यौरा निम्न विवरण में दिया गया है :—

फसल वर्ष	एकक का नाम			
	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	योग
	(क्षेत्रफल हैक्टेयरों में)			
1980–81	16,775	9,476	10,576	36,827
1981–82	16,431	8,542	10,433	35,406
1982–83	15,496	7,207	9,648	32,351
1983–84	12,079	5,742	7,699	25,520
1984–85	12,053	5,669	7,765	25,487
1985–86	11,314	5,438	8,609	24,361
1986–87	10,835	5,276	7,225	23,336
1987–88	9,981	4,882	6,898	21,761

देश में अफीम का जो उत्पादन किया जाता है मुख्यता निर्यात हेतु ही होता है। सरकारी अफीम कारखानों में अफीम के भारी स्टाक बढ़ जाने एवं निर्यात में कमी होने की स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए सरकार को उस क्षेत्रफल में धीरे-धीरे कमी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है जिस पर पोस्त की काश्त की जा रही है काश्त अधीन क्षेत्र में हुई कमी को उपर्युक्त विवरण से देखा जा सकता है।

उपरोक्त 3 राज्यों में, 23 जिलों में पोस्त की काश्त की जाती है (मध्य प्रदेश के 7, उत्तर प्रदेश के 9 और राजस्थान के 7 जिलों में) तथा 1980-81 से 1987-88 तक जिले वार क्षेत्रफल तथा प्रत्येक जिले में उत्पादन की मात्रा में हुई कमी के संबंध में आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी जिले में पोस्त की काश्त के लिए कोई नए लाइसेंस नहीं दिए गए हैं।

Payment of bonus to Government Employees

3539. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) whether it is a fact that the bonus is paid to the Government em ployees for each financial year;

(b) whether the bonus for the financial year 1987-88 has not so far been paid to the Government employees;

(c) if so, what are the reasons therefor; and

(d) whether Government propose to pay bonus to the Government em ployees for the year 1987-88 in the near future; if so, by when and if. not, what are the reasons for this type of avoidable delay in the matter; and

(e) what are the reasons f°r whicB such payments/dues are not paid to the government employees automa tically as and when they are due?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHBI B. K. GADHVI): (a) Yes, Sir, wherever bonus is admissible under the respective EL3 schemes or as ad hoc bonus as the case may be.

(b) Yes, Sir.